

दस साल पुराने तस्करी के मामले में दो आरोपियों को सजा सुनाई

आरोपियों को 7-7 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया

सादुलपुर, (निसं)। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजगढ़-द्वितीय ने लगभग दस साल पुराने अवैध डोडा-पोस्ट छिलका तस्करी के मामले में दो आरोपियों को सात-सात साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। वहीं 50-50 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया है।

प्रकरण अनुसार 23 जून 2014 को तत्कालीन थाना अधिकारी गुरु भूपेंद्र सिंह पुलिस दल के साथ मंत्री नंदलाल मीणा को भादरा से चुरू जाने पर दुधवाखारा तक एस्कोर्ट ड्यूटी की तथा वापस आते समय सिद्धमुख से पांच किलोमीटर दूर सादुलपुर की तरफ से हरियाणा नंबर की एक कार जो आगे-आगे चल रही थी तथा पुलिस को गाड़ी देखकर कार चालक ने कार को तेज गति से सिद्धमुख की ओर भगाया, जिसमें दो व्यक्ति सवार थे। कार भगाने पर पुलिस ने लगभग एक किलोमीटर तक पीछा कर पाँवर हाउस सिद्धमुख के पास ओवरटेक कर कार को पुलिस ने रोका तथा चालक से कार को भगाने का कारण पूछा तो वह चबरा गया और संतोषजनक



राजगढ़ कोर्ट ने तस्करी के मामले में आरोपियों को सजा सुनाई।

जवाब नहीं दे पाया। पुलिस ने पछताछ की तो चालक ने अपना नाम कीमती लाल पुत्र बहादुर सिंह बाजीगर दूसरे ने अपना नाम धर्मपाल बाजीगर पुत्र जागीर

सिंह बाजीगर निवासी रानिया चूंगी सरसा हरियाणा होना बताया। शक होने पर पुलिस ने कार की तलाशी ली तो कार की पिछली सीट पर एक सफेद रंग का

प्लास्टिक का कटा मिला। जिसको खोलकर चेक किया तो कट्रे में 28 किलो डोडा-पोस्ट छिलका भरा हुआ पाया। आरोपियों के पास कोई लाइसेंस

अपर जिला सेशन न्यायाधीश राजगढ़ द्वितीय ने फैसला सुनाया

व परमिट नहीं था। जिस पर पुलिस ने अवैध डोडा-पोस्ट छिलका तथा कार को जप्त कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया तथा एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच शुरू की और चालान न्यायालय में पेश कर दिया।

मामले में न्यायाधीश अपर जिला सेशन न्यायाधीश राजगढ़ द्वितीय लतिका दीपक पराशर ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्य, गवाहों और सबूत का अवलोकन कर आरोपी कीमती लाल व धर्मपाल को दोषी माना तथा दोनों को सात-सात साल के कठोर कारावास व 50-50 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया है। राज्य सरकार की ओर से पैरवी सुनील बसेर कालरी अपर लोक अभियोजक राजगढ़ द्वितीय ने की।

जेईई-मेन के जनवरी सेशन के लिए आवेदन प्रक्रिया समाप्त

कोटा, (निसं)। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित की जा रही देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई-मेन के जनवरी सेशन के लिए आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो गयी है। परीक्षा 22 से 31 जनवरी के प्रत्येक दिन दो पारियों में संपन्न होगी।

एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के कैरियर कार्डसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि इस वर्ष अब तक के इतिहास में सर्वाधिक स्टूडेंट्स जेईई-मेन के पहले सेशन में शामिल होने वाले हैं। इस वर्ष जनवरी सेशन के लिए 13 लाख 80 हजार से अधिक स्टूडेंट्स आवेदन कर चुके हैं जो कि गत वर्ष से 1 लाख

जेईई-मेन-पहले सेशन के लिए 13 लाख 80 हजार से अधिक आवेदन हुये

60 हजार अधिक है। गत वर्ष पहले सेशन के लिए 12 लाख 21 हजार 764 ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। आवेदन में हुई गलतियों के लिए करेक्शन का विकल्प 26 एवं 27 नवम्बर को दिया जाएगा। इसमें स्टूडेंट्स आवेदन में भरी हुई सभी जानकारीयों में बदलाव कर सकते हैं। करेक्शन करने का मौका एक बार दिया जाएगा, यदि करेक्शन करके फ्रीज कर दिया जाता है तो उसमें समय रहने के बावजूद दुबारा करेक्शन नहीं किए जा सकेंगे। स्टूडेंट्स करेक्शन के बाद अपन नया कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर करेक्शन की पुष्टि कर सकते हैं।

डिटेल्स और फोटोग्राफ में करेक्शन नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा अपने नाम, पिता के नाम, माता का नाम, कक्षा 10, 12, पेन कार्ड की डिटेल्स, एग्जामिनेशन सिटी, परीक्षा का माध्यम, जन्म दिनांक, जेंडर, कैटेगिरी, सब कैटेगिरी, हस्ताक्षर और प्रश्नपत्र के विषय में बदलाव कर सकते हैं। करेक्शन करने का मौका एक बार दिया जाएगा, यदि करेक्शन करके फ्रीज कर दिया जाता है तो उसमें समय रहने के बावजूद दुबारा करेक्शन नहीं किए जा सकेंगे। स्टूडेंट्स करेक्शन के बाद अपन नया कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर करेक्शन की पुष्टि कर सकते हैं।

अजमेर, (कासं)। अजमेर शहर के वार्ड नम्बर 53 में रहने वाली महिलाओं के साथ लोन दिलाने का झांसा देकर करीब 20 लाख रूपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। मामले में पीडित महिलाएं वार्ड पार्श्व सहित अलवर गेट थाने पहुंची और ई-मित्र का काम करने वाले युवक के खिलाफ शिकायत दी

उसके वार्ड 53 के कल्याणपुरा मे राजू ई- मित्र का काम करता है। राजू ने क्षेत्र की करीब 20 महिलाओं को लोन दिलाने का झांसा दिया। महिलाओं के आवश्यक दस्तावेज लेकर उनके नाम

पीडित महिलाओं ने थाने में ई-मित्र का काम करने वाले युवक के खिलाफ शिकायत दी

से लोन ले लिया। इसके बाद एटीएम मंगवाकर अकाउंट से पैसे निकाल लिए। पार्श्व कोमल ने बताया कि जब महिलाएं उसके घर पहुंची तो वह नहीं मिला। पार्श्व ने आरोप लगाया कि आरोपी युवक की पत्नी ने उल्टा महिलाओं पर झूठा मुकदमे की शिकायत दी है। सभी महिलाएं मजदूरी करके अपना गुजारा करती हैं। अलवर गेट थाना पुलिस से मामले में कार्रवाई की मांग की है।

के.डी.ए. के बिना अनुमोदन के काटी जा रही है कॉलोनियां

कॉलोनियों में अवैध निर्माण किया जा रहा है, जिला कलेक्टर से शिकायत की



कोटा विकास प्राधिकरण के अनुमोदन बिना ही कॉलोनी में भूखंड बेचे जा रहे हैं और निर्माण हो रहा है।

कोटा, (निसं)। शहर के आसपास बड़ी संख्या में कृषि भूमियों पर नई-नई कॉलोनियां तो बन रही हैं लेकिन उन कॉलोनियों को कोलोनाईजर्स बिना केडीए से अनुमोदन के ही काटकर बेच रहे हैं। इसकी शिकायत जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी को की गई।

बोरखेड़ा निवासी रामनिवास ने बताया कि बारां रोड सिद्धि विनायक आवास कॉलोनियों काटी जाने की अधिकारियों को भनक तक नहीं लगी। अवैध रूप से 4 से 6 मंजिला तक बिना अनुमति के बहु-मंजिला निर्माण कर लिए गए हैं। इसमें प्लॉट नम्बर ए-10 से ए-17 तक व सी-3, बी-13, बी-15, सी-1, सी-11, सी-25 में

प्लानर द्वारा जो भूखण्ड काटे गये थे इससे बाहर जाकर निर्माण कार्य करके व्यवसायिक गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं। इसके अलावा खसरा नम्बर 58/463 जो कि नगर विकास न्यास के खाते दर्ज है। इसमें भी अवैध रूप से प्लानिंग बनाकर अपने नक्शे में शामिल करके प्लान काट दिये गये हैं, जिससे केडीए को राजस्व का नुकसान पहुंच रहा है और खरीदारों को भी लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है।

नगर विकास न्यास के कोटा विकास प्राधिकरण बनने के बाद इसका दायरा भी बढ़ गया है। अब शहर के आसपास के क्षेत्र भी केडीए में शामिल हो गए हैं। हालांकि न्यास द्वारा पूर्व में

अधिकतर जमीनों को बेचा जा चुका है जिससे अब केडीए के पास जमीनों की कमी महसूस की जा रही है। वहीं शहर के आसपास के क्षेत्रों में कृषि भूमियां तो हैं लेकिन केडीए उनका लाभ नहीं उठा पा रहा। उनका फायदा भू-माफिया निजी कोलोनाईजर्स उठा रहे हैं। कृषि भूमि का केडीए में अनुमोदन करवाये बिना और बिना सरकारी प्रक्रिया अपनाएं कृषि भूमियों पर अलग-अलग नामों से कालोनी काटकर महंगे दामों पर भूखंड बेचे जा रहे हैं। इसकी शिकायत जिला कलेक्टर को की गई और बिना अनुमोदित कॉलोनी पर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई।

कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी, युवक की मौत

अजमेर, (कासं)। अजमेर शहर के आदर्श नगर पुलिस थाना क्षेत्र स्थित नसीराबाद मार्ग पर तेज रफ्तार से आई कार ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। घायल युवक को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। आदर्श नगर थाना पुलिस ने पोस्टमॉर्टम की कार्रवाई कर शव परिजन के सुपुर्द किया। मृतक के भाई ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है।

आदर्श नगर थाना पुलिस के मुताबिक हादसे में जाटिया गांव

नसीराबाद निवासी शैतान सिंह पुत्र भंवरसिंह की मौत हुई है। वह पालवारी को एरिया में नौकरी करता था। वह गुरुवार रात 12 बजे के करीब फैक्ट्री से अपने गांव नसीराबाद जा रहा था। थाना क्षेत्र में खालसा पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार कार ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से युवक को जवाहरलाल नेहरू ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। सूचना पर शुक्रवार सुबह परिजन पहुंचे, जिनकी मौजूदगी में पोस्टमॉर्टम की कार्रवाई की गई।

राजीव गांधी सेवा केन्द्र व किसान सेवा केन्द्र बंद मिले

कार्यवाहक एसडीएम ने राजीव गांधी सेवा केन्द्र एवं किसान सेवा केन्द्र का निरीक्षण किया

करीली, (निसं)। कार्यवाहक उपखण्ड अधिकारी महेन्द्र सिंह गुर्जर ने शुक्रवार को उपखण्ड क्षेत्र करौली के विभिन्न कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विभिन्न कार्मिक एवं अधिकारी अनुपस्थित पाये गये और राजीव गांधी सेवा केन्द्र एवं किसान सेवा केन्द्र बंद पाये गये।

उपखण्ड अधिकारी ने बताया कि उन्होंने सीनियर सैकण्डरी स्कूल गुडला का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कुल 21 अध्यापकों एवं अन्य कार्मिकों में 2 ही उपस्थित पाये गये, इसी तरह राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गुडला में कुल 3 में से 2 कार्मिक उपस्थित मिले। इसके अलावा राजीव गांधी सेवा केन्द्र गुडला एवं किसान सेवा केन्द्र गुडला में कार्यालय समय पर ताला लगा हुआ



कार्यवाहक उपखण्ड अधिकारी महेन्द्र सिंह गुर्जर ने विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया।

मिला। उपखण्ड अधिकारी के द्वारा इसके पश्चात पीएचईडी ऑफिस ग्रामीण

करीली में 6 कार्मिकों में से 1 कार्मिक उपस्थित, पीएचईडी ऑफिस सिटी में

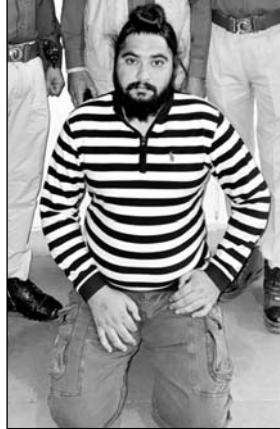
3 कार्मिकों में से 2 उपस्थित मिले। इसके पश्चात उन्होंने सामान्य

विभिन्न कार्यालयों के आकस्मिक निरीक्षण में कई कार्मिक एवं अधिकारी अनुपस्थित मिले

चिकित्सालय में संचालित अन्नपूर्णा रसोई का भी निरीक्षण किया, निरीक्षण के दौरान कुछ लोग खाना खाते हुए मिले लेकिन उनकी ऑनलाइन पच्ची नहीं मिलने पर कार्यवाही करने एवं चिकित्सालय में स्थित जांच लैब का भी निरीक्षण किया। उन्होंने लैब में नियमित साफ सफाई करने सहित अन्य आवश्यक दिशा निर्देश दिये। उन्होंने बताया कि अनुपस्थित कार्मिकों के खिलाफ नियमानुसार नोटिस जारी कर कार्यवाही की जाएगी।

कोटा, (निसं)। अनंतपुरा पुलिस ने डोडा-चूरे के मामले में फरार चल रहे। अन्तर्राज्यीय तस्क़र को गिरफ्तार किया है। आरोपी तस्क़र लवजीत सिंह पंजाब की पटियाला ज़िले का निवासी है जो 73 किलो डोडा-चूरे के मामले में फरार चल रहा था, जिसको पुलिस टीम ने पटियाला से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

मामले के अनुसार शहर पुलिस अधीक्षक अमृता दुहन ने बताया कि 22 सितंबर को रावतभाटा जिला चितौड़ से सूचना मिली कि एक दिल्ली नम्बर की कार रावतभाटा से कोटा की तरफ आ रही है। जिसमें कोई अवैध वस्तु या बदमाश हो सकता है। सूचना पर आरकेपुरम इलाके के बोरबास में नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान कार चालक ने कार को घुमाकर भगाने का



गिरफ्तार तस्क़र।

प्रयास किया। पुलिस द्वारा पीछा करने पर आरोपी कार को जंगल में छोड़कर फरार

आरोपी को न्यायालय में पेश किया, पांच दिन की रिमांड पर साँपा

हो गया था। मौके पर कार को चैक किया तो उसमें डोडा-चूरा के छह कट्टे मिले जिनका कुल वजन 73.57 किलोग्राम था। मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश के लिये पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने अन्तर्राज्यीय तस्क़र जिला पटियाला ग्राम सथरना भाटा जिला जितौड़ सिंह को पटियाला पंजाब से गिरफ्तार किया। पकड़े गये आरोपी को न्यायालय में पेश किया जहां से आरोपी को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। रिमांड के दौरान डोडा-चूरा की तस्क़री में शामिल अन्य आरोपियों के संबंध अनुसंधान किया जायेगा।

सुखेर हत्याकांड : सात दिन बाद मृतक के परिजन माने

उदयपुर, (कासं)। शहर के सुखेर थाना क्षेत्र में जीजा-साले द्वारा एक युवक की हत्या करने के मामले में पिछले सात दिन से पड़े मृतक के शव के मामले में शुक्रवार को समझौता हो गया। पुलिस ने मामले में निष्पक्ष जांच करने और राज्य सरकार से नियमानुसार मुआवजा दिलवाने का आश्वासन दिया। इसके बाद परिजन माने और शव का पोस्टमार्टम करवाया। पिछले सात दिन से मृतक के परिजन अपनी माँगों पर अड़े बैठे थे।

जानकारी के अनुसार तेजपाल (40) पुत्र देवजी मीणा निवासी साबला डुंगरपुर हाल अम्बेरी का शनिवार को सुबह पानी भरने के दौरान एक महिला के साथ विवाद हो गया था। इस पर उसी मकान में रहने वाले महिला के पति महेन्द्रसिंह और उसके साले सत्यपाल सिंह ने तेजपाल के साथ लड़ु से पीटकर गंभीर घायल कर दिया था। यह युवक थाने पर शिकायत दर्ज करवाने आया और इस दौरान उसकी हालत खराब हो गई, जिसे चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पर मृत घोषित कर दिया। यह मामला पिछले सात दिन से गर्माजा हुआ है। मृतक के परिजन पहले तो एक करोड़ रूपए मुआवजा और एक परिजन को सरकारी नौकरी करने की मांग कर रहे थे। मामले में आसपुर से बाप विधायक उमेश मीणा ने थाने में ही मारपीट करने, जिससे युवक की मौत होने का आरोप लगाया और दोषी

सरकार से उचित मुआवजे का व एक को संविदा पर नौकरी दिलवाने का आश्वासन दिया

पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही की मांग को लेकर अड़ गए थे। पुलिस का स्पष्ट रूप से कहना है कि किसी भी पुलिसकर्मी ने इनके साथ मारपीट नहीं की, उल्टा पुलिस तो मृतक को घायलवस्था में एमबी चिकित्सालय लेकर गई थी। पिछले सात दिनों से लगातार मृतक के परिजन उदयपुर आ रहे थे और अपनी माँगों पर अड़े बैठे थे। मामला उच्च स्तर पर जाने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने आश्वासन किया कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। साथ ही बताया कि मारपीट करने वाले जीजा और साले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही आश्वासन किया कि राज्य सरकार से मृतक के परिजनों को नियमानुसार मुआवजा दिलवाया जाएगा और एक परिजन को संविदा पर नौकरी दी जाएगी। सात दिनों से चल रहा इस घटनाक्रम में शुक्रवार को समझौता हुआ और एक परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया।

प्रमुख सचिव (माइंस) ने स्टेक होल्डर्स से संवाद किया, जीरो लॉस माइनिंग पर बल दिया

‘माइनिंग सेक्टर में पहली बार एक लाख 41 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव’

जयपुर। प्रमुख शासन सचिव माईंस एवं पेट्रोलियम टी. रविकान्त ने माइनिंग क्षेत्र में आ रही नई तकनीक को अपनाने हुए प्रदेश में जीरो लॉस माइनिंग की आवश्यकता प्रतिपादित की है। उन्होंने कहा कि राज्य की नई खनिज नीति में माईंस से जुड़े स्टेक होल्डर्स के व्यावहारिक सुझावों का भी समावेश किया जा रहा है जिससे प्रदेश के माइनिंग सेक्टर में और अधिक तेजी से काम करते हुए नई तकनीक का उपयोग, निवेश, रोजगार व राजस्व में बढ़ोतरी हो सकेगी। उन्होंने बताया कि माइनिंग सेक्टर में यह पहला अवसर है जब 1 लाख 41 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव हस्ताक्षरित हुए हैं।

प्रमुख सचिव खान टी. रविकान्त शुक्रवार को जोधपुर में जोधपुर संभाग के माइनिंग लीज धारकों, माइनिंग एसोसिएशनों और क्रेशर एसोसिएशनों, सीमेंट कंपनियों के प्रतिनिधियों से सीधा संवाद कायम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान के



प्रमुख शासन सचिव माईंस एवं पेट्रोलियम टी. रविकान्त का स्वागत किया।

माइनिंग सेक्टर में जोधपुर संभाग की अलग व विशिष्ट पहचान रही है। इस अमूल्य धरोहर का खनन करते समय आधुनिकतम तकनीक और सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए जीरो लॉस-गुणवत्ता युक्त अधिकतम उत्पादन के आधार पर काम करना होगा। रविकान्त ने स्टेक होल्डर्स से

चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार माइनिंग सेक्टर को देश में अग्रणी सेक्टर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मेजर मिनरल्स के ऑक्शन में हम समूचे देश में अव्वल हो गए हैं वहीं माइनर मिनरल्स के ऑक्शन में भी नया रेकार्ड कायम किया जाएगा। उन्होंने चर्चा के दौरान माइनिंग

एसोसिएशन पदाधिकारियों व लीजधारकों द्वारा दिए गए सुझावों पर गुणावगुण के आधार पर सकारात्मक निर्णय का आश्वासन दिया।

चर्चा के दौरान लघु उद्योग भारती मंडी के पूनम चंद तेंवर, जोधपुर स्टोन पार्क एसोसिएशन के अध्यक्ष जब्बर सिंह परिहार, सूर्यगरी खनन

व्यावहारिक सुझावों का नई मिनरल पॉलिसी में होगा समावेश

एवं पर्यावरण समिति के सचिव चन्मसाम पवार, जोधपुर संपूर्ण खनिज प्रतिनिधि निर्मल कच्छवाह, खनिज रायोलाइट प्रतिनिधि अनिल जैन, जोधपुर लाइमस्टोन समिति के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह नरुका सेण्ड स्टोन एसोसिएशन के नंदू शाह, फिडुसर सेण्डस्टोन के प्रवीण कच्छवाह, सचिव लघु उद्योग भारती नरेश परिहार, सेण्डस्टोन खातेदारी समिति के अध्यक्ष पन्ना लाल गहलोत, खनिज लाइमस्टोन समिति के कुलदीप चौधरी सहित स्टेक होल्डर्स ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। चर्चा के दौरान खान विभाग के अतिरिक्त निदेशक जोधपुरे बाई एस सहवाल अतिरिक्त निदेशक पेट्रोलियम अजय

शर्मा सहित अधिकारी उपस्थित थे। टी. रविकान्त ने जोधपुर आरएसएमएमएल सभागार में संभाग के माइनिंग अधिकारियों से चर्चा करते हुए अधिकारियों को अधिक से अधिक फील्ड में सक्रिय रहने के निर्देश देते हुए अवैध खनन गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई करने और राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त खानधारकों से तय समय सीमा में परिवेश पोर्टल पर फार्म 2 भरवा कर अपलोड कराएं। प्रमुख सचिव रविकान्त ने डेलिनियेशन कार्य, माइनिंग प्लान आदि को तय समय में पूरा करने को कहा। उन्होंने कार्यालय के रेकार्ड संधारण की आधुनिक तकनीक को अपनाने का कड़ा ताकित विभाग के महत्वपूर्ण रेकार्ड को सुरक्षित व बेहतर तरीके से संधारित किया जा सके। अतिरिक्त निदेशक माईंस वाईएस सहवाल ने संभाग की माइनिंग गतिविधियों की विस्तार से जानकारी दी।